2016/00227

यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रकरण संख्या : 314/2016 (अपील)

उनवान

1. गौरव गुप्ता आत्मज श्री धनराज जाति महाजन निवासी म0 नं0 396 केशवपुरा सेक्टर–7 कोटा
2. प्रियंका गुप्ता पुत्री श्री धनराज जी गुप्ता धर्मपत्नी श्री विशाल गुप्ता जाति महाजन निवासी बल्लभबाड़ी कोटा
3. नेहा गुप्ता पुत्री श्री धनराज गुप्ता पत्नी श्री पुनीत माहेश्वरी जाति महाजन निवासी श्याम नगर जयपुर
4. शीलारानी गुप्ता बेवा श्री धनराज गुप्ता जाति महाजन निवासी मं0 नं0 396 केशवपुरा सेक्टर–7 कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. बंशीलाल आत्मज श्री गोकुल लाल गुप्ता जाति महाजन निवासी केअर ऑफ रमेश चंद माहेश्वरी का मकान, ग्राम धुलेट बस स्टेण्ड के पास, तहसील कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री बंशीलाल (रेस्पोडेण्ट स्वंय)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार दीगोद के आदेश दिनांक 17.10.2008 सपठित
इंतकाल नं0 587 दिनांक 12.11.2008

निर्णय दिनांक : 08.11 .2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दीगोद के आदेश दिनांक 17.10.2008 सपठित इंतकाल नं0 587 दिनांक 12.11. 2008 की अप्रसन्नता से राजस्थान् भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटान को सुनवाई का नोटिस, अवसर, सूचना प्रदान किये बिना ही रेस्पो0 के पक्ष मे आदेश व इंतकाल तस्दीक कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि अपीलांटान के पिता व पति धनराज आ0 गोकुल प्रसाद द्वारा रेस्पो0 के पक्ष मे कभी कोई वसीयत आलेखित नही की और न ही उनके द्वारा रेस्पो0 के पक्ष मे वसीयत आलेखित कराये जाने का प्रश्न ही पैदा होता है अपीलांटान के पिता व पति अपीलांटान से काफी प्यार व स्नेह करते थे, जीवन पर्यन्त अपीलांटान ने उनके साथ निवास किया और मृत्यु उपरांत उनकी चल अचल सम्पत्ति का उपयोग अपीलांटान बहैसियत मालिकाना हक निरंतर करते चले आ रहे है । उक्त तथ्य स्वंय रेस्पो0 की जानकारी मे होने के बावजूद भी तथ्य छिपाकर अपीलांटान को सूचना दिये बिना ही तहसीलदार दीगोद के साथ मिलिभगत कर षडयंत्र रचकर एक पक्षीय आदेश त्रुटिपूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि वर्णित

आराजी पर मृतक धनराज के स्वर्गवास के बाद से अपीलांटान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । राज्य सरकार के परिपत्र वर्ष 1982 के अनुसार नामांतरण से संबंधित प्रकरण प्रथम 45 दिन का सुनवाई का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त है । योग्य अधीनस्था न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्र की पालना किये बिना ही कानून के विपरीत अपीलांटान जो कि नैसर्गिक उत्तराधिकारी है कोई सूचना दिये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि रेस्पो0 द्वारा न तो कोई वसीयत अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की और न ही वसीयत के गवाहो को अधीनस्थ न्यायाालय मे प्रस्तुत किया और न ही अपीलांटान को उक्त वसीयत के गवाहो से जिरह व बचाव मे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान किया । भू राजस्व अधिनियम धारा 131 लगायत 135 के नियमों की पालना किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि वर्णित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी सम्पत्ति है । जिसके संबंध मे अपीलांटान का जन्म से ही स्वत्व एवं अधिकार निहित होने से अपीलांटान का मृतक धनराज के जीवनकाल से ही अधिकार एवं स्वत्व है । उक्त तथ्य स्वंय रेस्पो0 की जानकारी मे होने के बावजूद भी रेस्पो0 द्वारा तथ्य छिपाकर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित करवा लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं इंतकाल निरस्त करने का निवेदन किया है ।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट में कथन किया है कि बंशीलाल रेस्पो0 द्वारा धनराज की फर्जी वसीयत बनाकर बिना धनराज के वारिसान की सुनवाई किये धनराज के खाते की आराजी रेस्पो0 के नाम दर्ज की गई है जिसे निरस्त किया जाये । धनराज की मृत्यु दिनांक 02.05.2008 को पोलाईकलां मे होना बताया गया है जबकि नगर निगम कोटा द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण–पत्र के अनुसार उसकी मृत्यु कोटा में दिनांक 19.11.2005 को हुई है । चूंकि अपीलांट मृतक धनराज के कानूनन वारिसान के नाम इंतकाल दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया गया ।

5. रेस्पो0 बंशीलाल बहस हेतु स्वंय उपस्थित हुये । उसके द्वारा बहस मे कथन किया कि उसकी जमीन धनराज के नाम हो गई थी । अतः धनराज द्वारा अपनी जमीन बंशीलाल के नाम वसीयत करवाई गई और उसी वसीयत के आधार पर विवादित आराजी उसके नाम सही रूप से दर्ज हुई है । अतः अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धनराज की वसीयत के गवाहान के बयान के आधार पर रेस्पोडेंट के नाम विवादित आराजी दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 17.10.2008 को जारी किये गये जिसके आधार पर दिनांक 12.11.2008 को नामान्तरकरण संख्या 587 रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार धनराज की मृत्यु पौलाईकलां में दिनांक 02.05.2008 को हुई है जबकि अपीलांट द्वारा उसकी मृत्यु कोटा में दिनांक 19.11.2005 को होने के संबंध मे नगर निगम कोटा द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश किया गया है । अतः दोनो मृत्यु प्रमाण–पत्रों में मृत्यु की दिनांक व मृत्यु के स्थान मे एकरूपता नहीं होने से यह स्पष्ट नही होता कि धनराज की मृत्यु कब व कहाँ हुई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश धनराज द्वारा निष्पादित किये गये तथाकथित अपंजीकृत वसीयतनामें के आधार पर साक्षीगण तथा रेस्पोडेन्ट के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है जिसमें अपीलांट की कोई सुनवाई किया जाना नही पाया जाता है । चूंकि

अपीलांट मृतक धनराज के वारिसान है, अतः अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व उसके वारिसान अपीलांट की सुनवाई किया जाना चाहिए था ।

7.. अत : अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.10.2008 तथा उसके आधार पर दर्ज इंतकाल नं0 587 दिनांक 12.11.2008 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर तथा मृत्यु प्रमाण –पत्र की जॉच कर पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करें ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 08.11..2019 को मेरे द्वारा लिखांया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

मुद्रा

2008/00010

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाराजी आदेश दिनांक 12.12.2007 न्यायालय स्थायी समिति स्थापना एवं प्रशासन पंचायत समिति खेराबाद जिला कोटा बउनवानी सत्यनारायण नावरिया बनाम खुशराजसिंह वगै0 प्रकरण सं0 10/05

3. प्रकरण संख्या : 08/2012 (निगरानी)

उनवान

1. सत्यनारायण नावरिया आत्मज श्री बालचन्द जाति खटीक निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
2. बसन्ती लाल आ0 रामचन्द्र जाति माली निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
3. नवनीत गौतम आ0 श्री प्रहलाद कुमार शर्मा जाति ब्रा0 निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)

(निगराकारान)

बनाम

1. पूनमचन्द आत्मज रामगोपाल सैन जाति नाई निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
2. राधेश्याम आ0 श्री राधाकिशन जाति महाजन निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
3. नन्दलाल उर्फ बालचन्द आ0 भवानीराम जाति लोधा निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
4. ग्राम पंचायत चेचट जर्ये सरपंच, ग्राम पंचायत चेचट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)

(गैर निगराकारान)

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता (अभिभाषक निगराकारान)
उपस्थित :– 2. श्री प्रेमकुमार सिंह (अभिभाषक गेरनिगराकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाराजी आदेश दिनांक 12.12.2007 न्यायालय स्थायी समिति स्थापना एवं प्रशासन पंचायत समिति खेराबाद जिला कोटा बउनवानी सत्यनारायण नावरिया बनाम खुशराजसिंह वगै0 प्रकरण सं0 10/05

निर्णय दिनांक : 08.11.2019

1. निगराकारान द्वारा ये निगरानियॉ अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 में 1. ग्राम पंचायत चेचट के संकल्प सं0 04/4 दिनांक 17.12.2004 से जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 18.12.2004 से पूनमचन्द पुत्र रामगोंपाल सेन निवासी चेचट को 10 X 10 = 100 वर्गफीट का पट्टा जारी करने, ग्राम पंचायत चेचट के संकल्प सं0 06/4 दिनांक 18.12.2004 से जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 18.12.2004 से खुशराज सिंह पुत्र बजरंग सिंह निवासी चेचट को 10 X 10 = 100 वर्गफीट का पट्टा जारी करने एवम् ग्राम पंचायत चेचट के संकल्प सं0 07/4 दिनांक 18.12.2004 से जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 18.12.2004 से प्रेमप्रकाश पुत्र मोहनलाल छीपा निवासी चेचट को 10 X 10 = 100 वर्गफीट का पट्टा जारी करने के विरूद्व अपील पंचायत समिति खेराबाद जिला कोटा मे

करने पर प्रधान पंचायत समिति खेराबाद जिला कोटा के निर्णय दिनांक 12.12.2007 से पंचायत का फैसला बहाल रखे जाने पर निगराकार द्वारा निगरानी अधीनस्थ न्यायालय कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने सें प्रस्तुत की गई है।

2. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. वकील निगराकार द्वारा बहस में निगरानी मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि ग्राम पंचायत चेचट ने खुशराज सिंह,प्रेमप्रकाश व पूनमचन्द के पक्ष मे 10 X 10 = 100 वर्गफीट (भूमि) 2500/- रूपये जमा कराकर पट्टे जारी किये है ।उक्त पट्टे जारी करने मे त्रुटि की गई है अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया कि वादग्रस्त भूमि पर पहले मूलचन्द आत्मज श्री रामचन्द्र माली निवासी ग्राम चेचट गत कई वर्षो से रोडी डालता था । मूलचन्द माली ने उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर पुराना कब्जा होना जाहिर कर वादग्रस्त भूमि पर उसको पट्टा देने के लिए गैरनिगराकार नं0 4 ग्राम पंचायत चेचट के समक्ष कार्यवाही की थी । गैरनिगराकार नं0 4 ने वादग्रस्त भूमि का मौका देखकर दिनांक 15.9.90 को आदेश पारित कर वादग्रस्त भूमि के पूर्व दिशा मे रास्ता होने से तथा जलदाय विभाग की बिल्डिंग पश्चिम में, कृषि विभाग का गोदाम होने से रास्ता तंग होने का अन्देशा होने से उक्त आधार पर मूलचन्द के पट्टे की कार्यवाही खारिज करदी थी । उक्त आदेश फाइनल हो चुका है । इस कारण वादग्रस्त भूमि का कानूनन पटटा जारी नही किया जा सकता है । इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर निगरानी प्रदान करने मे त्रुटि की है । वादग्रस्त भूमि पर गेरनिगराकार नं0 1 का कभी भी कब्जा नही रहा है तथा वर्तमान मे भी कब्जा नही है । गेरनिगराकार नं0 1 की वादग्रस्त भूमि पर बोडी लगी हुई नही है । गेरनिगराकार नं0 1 वादग्रस्त भूमि का नियमन करवाने तथा पटटा लेने की योग्यता नही रखता था । इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सर्वथा अवैध मनमाना एवम् त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है । ग्राम पंचायत ने मौका देखे बिना ही मनमाने तौर पर मौके की स्थिति के विपरीत उसका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही होने के उपरान्त भी वादग्रस्त भूमि को रास्ते की भूमि एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि है का गेरनिगराकार नं0 1 के पक्ष मे पटटा जारी करने मे त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । निगराकार ग्राम पंचायत चेचट के स्थायी निवासी है । वादग्रस्त भूमि मे होकर निगराकार एवं ग्रामवासियान के आने जाने का रास्ता है । गेरनिगराकार नं0 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कर लिया तो निगराकारान के आने जाने का रास्ता अवरूद्व एवं तंग हो जावेगा एवम् उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी । निगराकार हुक्म जैर निगरानी से व्यथित पक्षकार होने से हुक्म जेर निगरानी से निगराकार के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है । अतः निगराकार यह निगरानी प्रस्तुत करने के अधिकारी है । कृषि भूमि का गोदाम वादग्रस्त भूमि के पास ही स्थित है । वादग्रस्त भूमि पर कृषि गोदाम पर माल लेकर आने जाने वाले ट्रक खडे होते है । वादग्रस्त भूमि पर गेरनिगराकार नं0 1 द्वारा निर्माण कर लिया तो निगराकार एवं ग्रामवासियान का आने जाने का रास्ता ही अवरूद्व हो जावेगा । अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए गेरनिगराकार नं0 1 के पक्ष मे जारी पटटा निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

4. विद्वान अभिभाषक गेरनिगराकार द्वारा अपनी बहस मे जाहिर किया कि गेरनिगराकार नं0 1 के पक्ष मे जारी पटटा नियमानुसार जारी किया गया है । जिसकी अपील पंचायत समिति खेराबाद के निर्णय दिनांक 12.12.2007 से पंचायत का फैसला बहाल रक्खा गया है । जबकि ग्राम पंचायत द्वारा मौका देखने पर आवंटन के पश्चात साढे सौलह फिट का रास्ता बचता है जो पर्याप्त होने पर उक्त भूमि रास्ते की नही मानी जा सकती । भूमि सार्वजनिक उपयोग की भी नही होना पायी गई क्योकि पंचायत द्वारा मौका देखकर 25 वर्षो से प्रेमप्रकाश, पूनमचन्द व खुशालसिंह का कब्जा पाये जाने पर उक्त पटटा जारी किया है । पूर्व मे मूलचन्द के पट्टे की

कार्यवाही निरस्त करने से गैरनिगराकार पटटा जारी करवाने के अधिकार समाप्त नही हो जाते है । अतः निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

5. विद्वान वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । सत्यनारायण निगराकार द्वारा गैरनिगराकार प्रेमप्रकाश, पूनमचन्द व खुशाल सिंह को दिये गये पटटे को निरस्त करने हेतु यें निगरानियां पेश की गई है । गैरनिगराकारान को ग्राम पंचायत चेचट द्वारा दिनांक 18.12.2004 को करीब 25 वर्षो से कब्जा होने के आधार पर पटटा दिया गया जिसकी अपील पंचायत समिति खेराबाद मे करने पर पंचायत समिति खेराबाद की स्थायी समिति द्वारा दिनांक 19.9.15 को मौका देखा । मौके पर कृषि भवन व पी.एच.डी. की टंकी के बीच साढे छब्बीस फुट जगह होना तथा पटटे के बाद 16 फुट जगह शेष बचना पाये जाने पर व रास्ता पर्याप्त होने के कारण अपील दिनांक 12.12.2007 को खारिज की गई ।

दिनांक 15.09.1990 को विवादित आराजी पर पूर्व मे रास्ता तथा जलदाय विभाग की बिल्डिंग, कृषि विभाग का गोदाम होने व पट्टा देने से रास्ता तंग होने का अंदेशा होने से प्राथी द्वारा पटटे हेतु ग्राम पंचायत मे पेश प्रा0 पत्र निरस्त किया गया । निगराकार की मुख्यतः 3 आपत्तियां है :–

(1). रास्ते की भूमि का पट्टा दिया जाने की आपत्ति की गई है । जबकि पंचायत समिति द्वारा मौका देखने पर पट्टा आवंटन पश्चात साढे सोलह फीट का रास्ता बचता है जो पर्याप्त होने पर उक्त भूमि रास्ते की नही मानी जा सकती । वैसे भी नजरी नक्शा जिस पर प्रधान पंचायत समिति खेराबाद के हस्ताक्षर है से मुख्य सडक से सत्यनारायण के घर तक साढे छब्बीस फुट का रास्ता होना नही पाया जाता । क्योकि बीच मे प्रहलाद शर्मा का मकान है जहां पर रास्तां नक्शे के अनुसार 16 फुट ही रह जाता है । अतः भूमि रास्ते की होना नही पाये जाने से निगराकार की उक्त आपत्ति निरस्त की जाती है ।

(2). भूमि सार्वजनिक उपयोग की भी नही होना पायी जाती क्योकि पंचायत द्वारा मौका देखकर 25 वर्षो से प्रेमप्रकाश, पूनमचन्द व खुशालसिंह का कब्जा पाने पर उक्त पट्टा जारी किया है ।

(3). पूर्व मे मूलचन्द के पट्टे की कार्यवाही निरस्त करने से गेरनिगराकार के पट्टा जारी करवाने के अधिकार समाप्त नही हो जाते ।

अतः निगराकार द्वारा पेश तीनो आपत्तियां खारिज की जाती है । पंचायत समिति खेराबाद स्थायी समिति द्वारा मौका देखने पर पर्याप्त रास्ता होना पाये जाने से उपरोक्त तीनो निगरानी स्वीकार किऐ जाने योग्य नहीं पाई जाती है।

5. परिणामतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकारान की उपरोक्त तीनो निगरानी खारिज की जाती है।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 08.11..2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

2019/00081

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता , आर.ए.एस.

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रकरण संख्या : 02/2019 (निगरानी)

उनवान

विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा (राज0)

(निगराकार)

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत मामोर पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा
2. ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत मामोर पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा
3. प्रधानाध्यापक रा0 उ0 प्रा0 विधालय पानाहेडी ब्लॉक सांगोद जिला कोटा राजस्थान

(गैर निगराकार)

उपस्थित :– 1. श्री अनिल शर्मा (अभिभाषक निगराकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम –1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत मामोर पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा के द्वारा जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख नियम 158 (2) मिसल सं0 401 दिनांक 05.10.2010 पट्टा सं0–1701 दिनांक 25.11.2010 को निरस्त करवाये बाबत

निर्णय दिनांक : 29.11..2019

1. निगराकार द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 में विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगोद के द्वारा प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि दिनांक 25.11.2010 को ग्राम सेवक पदेन सचिव, सरपंच ग्राम पंचायत मामोर, प्रधानाध्यापक रा0 उ0 प्रा0 विघालय पानाहेडा के मध्य आवादी भूमि का विक्रय विलेख का अनुबंध किया गया जिसके तहत ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या–3 के अनुसरण में प्रधानाध्यापक रा0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा को निःशुल्क 65 गुणा 70 वर्गफुट का भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 4550 वर्गफुट आवंटित किया गया है । उक्त पट्टे के अनुसार आवंटित भूमि पर वर्तमान मे विद्यालय का खुद का नया भवन में संचालित होने से उक्त पट्टे के अनुसार आवंटित आवासीय भूखण्ड का लगभग गत 7 वर्षो से विद्यालय का संचालन नही हो रहा है । उक्त आवासीय भूखण्ड वर्तमान मे क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था मे है । वर्तमान मे आवश्यकता महसूस होने पर ग्राम पंचायत मामोर द्वारा जारी पट्टे की कानूनी रूप से जांच की गयी एवम् वर्तमान मे रा0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा खुद के नये भवन मे संचालित है । पट्टा कानूनी रूप से जारी नही किया गया है इसलिये इसे निरस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है । ग्राम पंचायत मामोर द्वारा दिनांक 25.11.2010 के जारी पट्टे मे खसरा नम्बर का अंकन पट्टे पर नही होने से यह स्पष्ट नही हो सका कि पट्टा आबादी भूमि का जारी किया गया है तथा पंचायत को इसे जारी करने का अधिकार था भी या नही । ग्राम पंचायत द्वारा राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा को जारी पट्टा नियम–158(2) मे जारी किया गया है जबकि इस नियम मे कमजोर वर्गो को ही भूमि का आवंटन किये जाने का प्रावधान है, जबकि राजकीय भवनो/संस्थाओं को आबादी भूमि का पट्टा पंचायत राज अधिनियम– 1994 के नियम–162 के तहत निःशुल्क 500 वर्ग गज तक के लिये जारी किये जाते है इस प्रकार ग्राम पंचायत मामोर द्वारा जारी पट्टा पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । वर्तमान में राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा खुद के नये भवन मे संचालित हो रहा है जारी पट्टे वाला परिसर अब उक्त विद्यालय को उसकी आवश्यकता नही रही । जारी पट्टा

उद्देश्यों की पूर्ति नही करने के कारण खारिज किये जाने योग्य है । ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा वर्ष–2010 मे राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा को जारी किया गया था परन्तु वर्तमान मे उक्त आवासीय भूखण्ड लगभग गत 7 वर्षो से खाली पडा है और अनुपयोगी साबित हो रहा है । स्वंय प्रधानाध्यापक राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा द्वारा ग्राम पंचायत मामोर द्वारा जारी पट्टा निरस्त करने के लिए निवेदन किया एवग् उक्त आवासीय भूखण्ड का कोई उपयोग नही होने के कारण उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है । अतः कार्यालय ग्राम पंचायत मामोर पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा के द्वारा जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख नियम–158(2) मिसल संख्या –401 दिनांक 05.10.2010 एवं जारी पट्टा–1701 दिनांक 25.11.2010 को निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

2. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। गैरनिगराकारान स्वंय उपस्थित हुए । सरपंच ग्राम पंचायत मामोर पंचायत समिति सांगोद द्वारा पत्र क्रमांक/ग्रा.पं./19–20/76 दिनांक 29.11.2019 पेश कर तथ्य अंकित किये कि प्रधानाध्यापक राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पानाहेडा के पुराने भवन राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा के नाम ग्राम पंचायत मामोर द्वारा पट्टा संख्या 1701 मि0 सं0 401 दिनांक 05.10.2010 द्वारा दिनांक 25.11.2010 को जारी किया गया । पट्टा को एसएमसी के प्रस्ताव मुताबिक पुराना भवन क्षतिग्रस्व व अनुपयोगी होने के कारण निरस्त करने की अनापत्ति की है । वर्तमान मे राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा के नये भवन मे संचालित है तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र पानाहेडा की एएनएम द्वारा ग्राम पानाहेडा मे राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा के पुराने भवन जो क्षतिग्रस्त है कि भूमि को उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु भूमि चाही गई है । ग्राम पंचायत मामोर को प्राप्त प्रधानाध्यापक राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा की रिपोर्ट व उपस्वास्थ्य केन्द्र पानाहेडा की एएनएम की रिपोर्ट को ध्यान मे रखते हुए ग्राम पंचायत मामोर द्वारा ग्राम सभा बैठक दिनांक 13.11.2019 मे राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा पुराना भवन का पट्टा सं0 1701 दिनांक 25.11.2010 को निरस्त कर इस भूमि को उपस्वास्थ्य केन्द्र पानाहेडा के नाम पट्टा जारी करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है । अतः ग्राम पंचायत मामोर द्वारा जारी पट्टा सं0 1701 दि0 25.11.2010 को निरस्त करने का निवेदन किया गया । जिसकी पुष्टि मे ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मामोर के पत्र क्रमांक/ग्रा.पं./19–20/77 दिनांक 29.11.2019 से की गई है । प्रधानाध्यापक राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा के पत्र दिनांक 29.11.2019 से राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा के पुराने भवन जो अनुपयोगी है उसको अन्य विभाग को आवंटित किये जाने मे कोई आपत्ति नही अंकित की है ।

3. उपस्थित विद्वान अभिभाषक निगराकार एवं समस्त गैरनिगराकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक निगराकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा को आवंटित भूमि का लगभग 7 वर्षो से कोई उपयोग नही हो रहा है । वर्तमान में राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा को उक्त भूखण्ड की कोई आवश्यकता नही है । राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा खुद के नये भवन मे संचालित है । उक्त भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र पानाहेडा के नाम पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत मामोर द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है । अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मामोर पंचायत समिति सांगोद द्वारा जारी पट्टा सं0 1701 दि0 25.11.2010 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

4. न्यायालय मे उपस्थित समस्त गैरनिगराकारान द्वारा विद्वान अभिभाषक निगराकार के कथनो का समर्थन करते हुए निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मामोर पंचायत समिति सांगोद द्वारा जारी पट्टा सं0 1701 दि0 25.11.2010 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

5. विद्वान अभिभाषक निगराकार व समस्त गैरनिगराकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मे अंकित तथ्यों का समस्त गैर निगराकारान द्वारा समर्थन किया गया है । जिसके समर्थन मे सरपंच ग्राम पंचायत मामोर के पत्र क्रमांक/ ग्रा.प./19–20/76 दिनांक 29.11.2019 व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मामोर पं0 सं0 सांगोद के पत्र क्रमांक/ ग्रा.प./19–20/77 दिनांक 29.11.2019 व प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पानाहेडा पंचायत समिति सांगोद के पत्र दिनांक 29.11.2019 से पट्टा सं0 1701 दिनांक 25.11.2010 को निरस्त किये हेतु अनापत्ति पत्र जारी कर उक्त पट्टे को निरस्त किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है ।

6. परिणामतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मामोर पंचायत समिति सांगोद द्वारा जारी आवादी भूमि का पट्टा सं0 1701 दिनांक 25.11.2010 जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पानाहेडा पंचायत समिति सांगोद के नाम से जारी किया गया है को निरस्त किया जाता है ।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(श्री नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

~~2010/0002~~

2010/00012

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 3/2010 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (प्रार्थी)

बनाम

1. रामकिशन पुत्र सेवाराम जाति रेगर नि0 कोटा (रेजोनेन्स वाला)
2. इन्दू बेवा जगमोहन जाति कायस्थ निवासी विज्ञानगर कोटा
3. हरवंश कौर पत्नी गुरुनाम सिंह नि0 प्रताप नगर कोटा
4. पदमकुमार जैन पुत्र अमोलक चन्द जैन नि0 बल्लभबाडी कोटा
5. विपिन कुमार जैन पुत्र गुलाबचन्द जैन नि0बल्लभबाडी कोटा
6. बलजिन्दर सिंह पुत्र अजायब सिंह नि0 कैथोडी तहसील लाडपुरा
7. जसवीर सिंह पुत्र धर्म सिंह नि0 छावनी कोटा
8. तलविन्द्र सिंह पुत्र करमसिंह नि0 छावनी कोटा
9. रामकरण पुत्र सालगराम मीना नि0 केथोडी तहसील लाडपुरा
10. देवेन्द्र दास चेला रामचरण दास पुजारी मंदिर श्री शेषधर नाथ जी विराजमान फतेहगढी रामपुरा कोटा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द सिंह राजकीय अभिभाषक
2. श्री धीरेन्द्र कुमार व श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री राजेश यादव श्री दीनानाथ गालव व श्री कैलाश चन्द्र शर्मा (अभिभाषक अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स केस बाबत माफी शेषधरनाथ जी विराजमान कोटा (फतेहगढी) के खाते की भूमि 650 बीघा 18 बिस्वा ग्राम केथोडी को अन्य व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके से अपने नाम करवाने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक :08.11.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर में प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि माफी मंदिर श्री शेषधर नाथ जी के खाते की 650 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम केथोडी तहसील लाडपुरा मे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा गलत ढंग से अपने नाम करवा ली है । अतः पक्षकारान के नाम दर्ज भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री शेषधर नाथ जी के खाते मे दर्ज करवाने की कार्यवाही की जावे । उक्त रेफरेन्स को न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा सुनवाई कर प्रकरण धारा 82 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रेफरेन्स का न होकर

धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इन्द्राज दुरूस्ती का होना मानते हुए ग्राम कैथोडी तहसील लाडपुरा के खाता संख्या 32 मे कुल किता 62 कुल रकबा 650 बीधा 18 बिस्वा भूमि सम्वत् 2003–06 की जमाबन्दी में मंदिर श्री शेषधर नाथ जी की भूमि को पुनः मंदिर के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करने के आदेश दिये गये ।

2. उक्त आदेश से व्यथित होकर पक्षकारान द्वारा इसकी अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा मे की गई । मा0 न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 27.08.2003 मे मानते हुये की विवादित आराजी सम्वत् 2003–06 की जमाबंदी में मूर्ति मंदिर श्री शेषधर नाथ जी महाराज के नाम 650 बीधा 18 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज जमीन का हस्तान्तरण प्रतिबंधित है परन्तु चूंकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष रेफरेन्स का प्रकरण बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जिसे पक्षकारान की सुनवाई का अवसर देते हुए रेफरेन्स प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अपनी राय के साथ प्रस्तुत करना चाहिए था । इस प्रकरण मे कतिपय पक्षकारों की मृत्यु हो चुकी है । अतः माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.08.2006 मे अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2003 को पारित आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होना मानते हुए अपील स्वीकार कर मंदिर श्री शेषधर नाथ जी के खाते मे दर्ज भूमि पर काबिज काश्तकार की आदिनांक सूची बनाने तथा उनकी सुनवाई कर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स भिजवाने के निर्देश दिए ।

3. न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 23.08.2006 की पालना मे तहसीलदार लाडपुरा से रेफरेन्स प्रकरण मे मंदिर श्री शेषधरनाथ जी के खाते दर्ज भूमि पर काबिज काश्तकारों की आदिनांक सूची प्राप्त की गई तथा उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त सूची के अनुसार मंदिर श्री शेषधर नाथ जी महाराज के खाते मे दर्ज भूमि पर काबिज काश्तकार निम्नानुसार है :–

(1) रामकिशन पुत्र सेवाराम जाति रेगर नि0 कोटा (रेजोनेन्स वाला) के खाते में ख0 नं0 75 की 0.21 है0, 78 की 1.95 है0, 79 की 1.45 है0, 80 की 0.17 है0, 137 की 2.54 है0, 137/270 की 1.39 है0, 138 की 0.31 है0, 139 की 3.05 है0, किता 8 रकबा 11.07 है0 दर्ज है ।

(2) इन्दू बेवा जगमोहन जाति कायस्थ विज्ञान नगर कोटा के खाते में खसरा नं0 115 की 0.10 है0, 116 की 0.02 है0, 117 की 0.06 है0, 118 की 0.60 है0, 142/265 की 0.07 है0, 143 की 0.74 है0, किता 6 रकबा 1.59 है0 दर्ज है ।

(3) हरवंश कौर पत्नी गुरूनाम सिंह प्रताप नगर कोटा के खाते में 208 रकबा 0.68 है0,,216 की 0.05 है0, 217 की 0.95 है0, 220 की 1.57 है0,221/252 की 0.10 है0, 222 की 0.18 है0, 223 की 0.84 है0, 234 की 2.89 है0, 235 की 2.74 है0, 236 का 1/2 1.70 है0,किता 10 रकबा 11.70 है0 दर्ज है ।

(4) पदमकुमार जैन पुत्र अमोलक चन्द जैन एवम् विपिन कुमार जैन पुत्र गुलाब चन्द जैन बल्लभबाडी कोटा के खाते में ख0 नं0 209 की 0.04 है0, 210/271 की 0.93 है0,, 229 की 5.15 है0, 231 की 1.87 है0, किता 5 रकबा 8.11 है0 दर्ज है ।

(5) विपिन कुमार जैन पुत्र गुलाबचन्द जैन बल्लभबाडी कोटा के खाते में ख0 नं0 210 की 0.68 है0, 224 की 1.67 है0, किता 2 रकबा 2.35 है0 दर्ज है ।

(6) बलजिन्दर सिंह पुत्र अजायब सिंह नि0 केथोडी के खाते मे ख0 नं0 236 का 1/2 रकबा 1.70 है0, 237 की 2.78 है0, किता 2 रकबा 4.48 है0 दर्ज है ।

(7) जसवीर सिंह पुत्र धर्म सिंह नि0 छावनी कोटा के नाम ख0 नं0 238 रकबा 2.98 है0 दर्ज है ।

(8) तलविन्दर सिंह पुत्र करम सिंह नि0 छावनी कोटा के नाम ख0 नं0 240 रकबा 3.53 है0 दर्ज है ।

(9) रामकरण पुत्र सालगराम मीना नि0 केथोडी के नाम 149 रकबा 0.70 है0 दर्ज है ।

(10) देवेन्द्रदास चैला रामचरणदास पुजारी मंदिर श्री शेषधरनाथ जी फतेहगढी रामपुरा कोटा के
नाम ख0 नं0 17/263 की 0.33 है0,19 की 0.19 है0, 38 की 2.51 है0,39 की 0.22 है0,
40/256 की 0.07 है0, 41 की 2.94 है0, 42 की 0.93 है0, 45 की 2.63 है0, 48 की 1.01 है0,
51 की 0.81 है0, 54 की 0.95 है0, 60 की 1.68 है0, 62/250 की 0.10 है0, 63 की 0.25 है0,
64 की 2.62 है0, 68 की 0.12 है0, 71 की 4.04 है0, 73 की 2.93 है0, 76 की 2.59 है0, 82 की
0.13 है0, 83 की 1.18 है0, 84 की 1.68 है0, 85 की 0.20 है0, 86 की 5.90 है0, 124 की 2.37
है0, 145 की 2.97 है0, 179 की 4.23 है0, 180 की 0.21 है0, 181 की 0.55 है0, 197 की 0.19
है0, 198 की 0.02 है0, 203 की 0.01 है0, 204 की 0.03 है0, 205 की 0.17 है0, 207 की 0.32
है0, 211 की 0.12 है0, 225 की 2.39 है0, 232 की 3.22 है0, 232/273 की 0.23 है0, 233 की
2.14 है0, 49 की 1.80 है0 किता 41 रकबा 56.98 हैक्टर दर्ज है ।

4. माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णयानुसार मंदिर श्री शेषधरनाथ जी के खते की आराजी पर काबिज समस्त काश्तकारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये । विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस मे जाहिर किया कि विवादित आराजीयात मंदिर माफी श्री शेषधर नाथ जी महाराज की खातेदारी की आराजीयात है जिसका हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है । अतः चूंकि उक्त आराजीयात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पक्षकारान के खाते मे दर्ज की गई है । अतः रेफरेन्स स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे भिजवाया जाये ।

5. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस मे कथन किया कि विवादित आराजीयात मंदिर माफी के खाते मे दर्ज होने का कोई सबूत नही है और न ही मंदिर मूर्ति का कोई कब्जा काश्त रहा है । जागीर रिजम्शन के वक्त भूमि मंदिर माफी का होना साबित नही है । अतः रेफरेन्स खारिज किया जाये । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2017 (1) पेज 433,518 व आरआरटी 2016 (1) पेज 435 पेश किये ।

6. पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया व विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया । विवादित आराजीयात ग्राम कैथोडी तहसील लाडपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2003–06 में मंदिर माफी शेषधर नाथ जी महाराज के खाते की कुल 62 किता कुल रकबा 650 बीधा 18 बिस्वा खातेदारी मे दर्ज होना पायी जाती है । चूंकि उक्त भूमि मंदिर मूर्ति के खातेदारी मे दर्ज थी । अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज भूमि का हस्तान्तरण प्रतिबंधित है । उक्त भूमि का किसी भी प्रकार से किया गया हस्तान्तरण अवैध व प्रभावशून्य है । विवादित भूमि पर काबिज काश्तकारों द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे साबित होता हो कि उक्त भूमि पूर्व में मंदिर मूर्ति के खातेदारी मे दर्ज नही थी । ऐसी स्थिति मे तहसीलदार द्वारा पेश किया गया रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कैथोडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्थित आराजीयात जो इस निर्णय के पैरा सं0 3 मे वर्णित है को पुनः मंदिर माफी श्री शेषधर नाथ जी महाराज के खातेदारी मे दर्ज किये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं ।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा